न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-459RAABarmer2025-225RTA223 Sukharam ors Vs Dhokalaram etc

01. सुखराम पुत्र जांवताराम उम्र 63 वर्ष
02. आसुराम पुत्र सुखराम उम्र 30 वर्ष
03. सीकरती पत्नी सुखराम उम्र 58 वर्ष

जातियान विश्नोई निवासीयान सनावड़ा कलां, पटवार हल्का भीमथल तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. धोंकलाराम पुत्र भागचंद उम्र 54 वर्ष
2. भारमलराम पुत्र भागचंद उम्र 68 वर्ष
3. साजनराम पुत्र भागचंद उम्र 65 वर्ष
4. सुजानाराम पुत्र भागचंद उम्र 63 वर्ष
5. सोनाराम पुत्र भागचंद उम्र 58 वर्ष

   जातियान विश्नोई निवासीयान सनावड़ा कलां, पटवार हल्का भीमथल तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।
6. प्रबंधक एसबीआई बैंक शाखा गुडामालानी
7. तहसीलदार धोरीमन्ना।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 अगस्त 2025 सहायक कलक्टर धोरीमन्ना राजस्व मूल वाद संख्या 38/2023 धोकला बनाम सुखाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री मोहनलाल विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो

नि र्ण य

दिनांक : 04 फरवरी 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 38/2023 अनवान धोकला बनाम सुखाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 अगस्त 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 28 अगस्त 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, व 188 के तहत वादग्रस्त भूमि मौजा सनावड़ा कला पटवार हल्का भीमथल तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा नंबर 55 रकबा 11.6630 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 14 रकबा 5.0586 हैक्टेयर के संबंध में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दर्ज कर प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी/अपीलांट्स की ओर से जवाब दावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर वादीगण के वाद का खण्डन किया गया। वादीगण/उतरदातागण द्वारा वाद में धारा 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण/अपीलांट्स के काउंटर क्लेम को खारिज किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 अगस्त 2025 के जरिये वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व वाद पत्र, काउन्टर वाद पत्र, आवेदन धारा 10 सीपीसी व जवाब आवेदन 10 सीपीसी व कानून का अवलोकन ही नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का काउन्टर दावा केवल यह लिखते खारिज किया कि प्रतिवादी (अपीलान्ट) अपने हिस्से की घोषणा के लिए अलग से वाद लाने के लिए स्वतंत्र हैं। मगर इस वाद में काउन्टर दावा अपीलान्टगण (प्रतिवादी) नहीं ला सकता, इस संबंध में कुछ भी नहीं लिखा, न किसी कानून का हवाला दिया गया कि किस कानून के तहत इस वाद में काउन्टर वाद नहीं लाया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 10 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें अपीलान्ट द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत जवाब के बिन्दुओं को नहीं मानने बाबत कोई तक नहीं दिया गया व केवल यह लिख दिया कि अपीलान्ट अपने हिस्से की घोषणा के लिए अलग से दावा लाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय स्वयं का यह ध्येय है कि न्यायालयों में मुकदमों की बढोतरी हो व गंभीर चुनौतियां कायम हो। धारा 10 सीपीसी के अनुसार किसी न्यायालय में दो वाद एक ही पक्षकारों के मध्य व एक ही इस्तदुआ के या दो भिन्न–भिन्न न्यायालयों मे ऐसे वाद चल रहे है, तब बाद में चल रहे वाद पर रोक लगा दी जावेगी, ताकि एक बिन्दु पर भिन्न–भिन्न राय प्रकट न हो, मगर इस मामले में रेस्पोडेन्ट का वाद केवल बंटवाडा का है व अपीलान्ट का काउन्टर दावा घोषणा व बंटवाडा का है। यहां पर न्यायालय को कानूनन पहले घोषणा का वाद पर निर्णय करने के पश्चात उस अनुसार बंटवाडा करना पड़ेगा। मगर अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय करने में कानूनन इंसाफन भूल की है। अपीलान्ट द्वारा अपने काउन्टर वाद में हिस्से बाबत घोषणा चाही गई थी व यह तर्क दिया कि हकतर्क कर जो हिस्से का गलत इन्द्राज किया गया है, उसे पुनः सही किया जावे व अपीलान्ट का वादग्रस्त खसरा में 1/2 हिस्सा घोषित किया जावे व साथ में यह भी तर्क दिया गया कि पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि कोई सहखातेदार किसी एक के पास में हकतर्क नहीं कर सकता है व इस संबंध में जो इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में हुआ है, वह गलत किया गया है व भागचंद, जांवताराम परिवार का 1/2–1/2 हिस्सा घोषित कर बंटवाडा किया जावे। अपीलान्ट द्वारा हकतर्क के संबंध में न्याय निर्णय भी प्रस्तुत किये गये थे, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने उस पर भी कोई अपनी टिप्पणी किए बिना निर्णय करने में कानूनन इंसाफन भूल की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने वाद का जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें भी रेस्पोडेन्ट के वाद का खण्डन कर हिस्से गलत दर्ज होने का बताया गया, मगर उस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किए अपना निर्णय करने में कानूनन इंसाफन भूल की है। रेस्पोडेन्ट द्वारा जो हकतर्कनामा बताया है, उसके लिखने के करीब 11 साल पश्चात रेकर्ड में दुरूस्ती करवाई गई है व अपने आवेदन 10 सीपीसी में बताया है कि पूर्ण प्रतिफल अदा कर वर्ष 2011 में बेचाननामा हेतु तहसील गये, परन्तु लेख पत्र निष्पादक ने अपने स्वार्थ के लिए बेचाननामा की जगह हकतर्कनामा निष्पादित कर दिया जो विधि सम्मत भागचंद के पक्ष में अन्तरण था। इस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गौर किए अपना निर्णय करने में कानूनन, इंसाफन भूल की है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 12 अगस्त 2025 को अपास्त किया जावे। वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल की खण्ड–पीठ द्वारा अपील संख्या 1988/2023 अनवान गटुनाथ बनाम श्रीमती तुलसी में पारित निर्णय की प्रति, 2014(1)आर.आर.टी. 509, ए.आई. आर. 2003 आन्ध्राप्रदेश 498 की न्यायिक नजीर पेश की।

जवाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत काउंटर क्लेम के साथ अपने कथनों की पुष्टि बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट्स के काउंटर क्लेम को धारा 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के जरिये निस्तारित करते हुए उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर वादग्रस्त आराजीयात में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट्स को खातेदारी घोषणा के वाद प्रस्तुति की भी छूट प्रदान की गई है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष कोई हककर्तनामा प्रस्तुत नहीं किया है। यह उल्लेखनीय है कि खातेदार रूपाराम द्वारा अपने जीवनकाल में अपना संपूर्ण हिस्सा भागचंद को दे दिया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 55 रकबा 11.6630 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 14 रकबा 5.0586 हैक्टेयर ग्राम सनावड़ा कलां तहसील धोरीमन्ना में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक–हिस्से अनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तलब किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज वर्तमान में हक–हिस्से में परिवर्तन बाबत किसी प्रकार के आदेश नहीं दिये गये है।

जहां तक अपीलांट का उज्र है कि खातेदार रूपा वल्द भारता द्वारा भागचन्द वल्द भारता के पक्ष में निष्पादित किया गया हकतर्कनामा अवैध है। कानूनन हकतर्कनामा किसी एक सहखातेदार के पक्ष में निष्पादित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों में माननीय राजस्व मण्डल की खण्ड–पीठ द्वारा भी उक्त तथ्य को पुष्ट किया गया है। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के उक्त उज्र के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट्स को खातेदारी घोषणा के नवीन वाद प्रस्तुति की छूट दी गई, जिसमें उक्त हकतर्कनामा की वैधता एवं वादग्रस्त आराजीयात में अपीलांट्स के संभावित पुश्तैनी खातेदारी अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में जरिये साक्ष्य हो जायेगा। ऐसी स्थिति में अपीलांट का उक्त उज्र मान्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर धारा 53 रा.का.अधि. के तहत विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 38/2023 अनवान धोकला बनाम सुखाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 अगस्त 2025 यथावत रखे जाते है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह तहसीलदार धोरीमन्ना से उभय पक्ष की उपस्थिति में पुनः विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तलब करते हुए उस पर उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत मामले में अंतिम डिक्री जारी करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, बाड़मेर